

सं.ए-60011/17/2017-आरटीआई सेल (प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली - 110069

दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

\*\*\*\*\*


विषय - आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता अधिकारी।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19-04-2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के पारदर्शिता अधिकारी का विवरण निम्नवत पढ़ा जाए :-

संयुक्त सचिव (प्रशा.)  
संघ लोक सेवा आयोग  
कक्ष सं.113-आयोग सचिवालय बिल्डिंग,  
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,  
नई दिल्ली-110069  
दूरभाष सं. 23386793.

2. पूर्वगामी के अनुक्रम में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा कि पहले निर्णय लिया गया है, पारदर्शिता अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे।

- i. लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 के दायित्वों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना तथा इसकी प्रगति से शीर्ष प्रबंधन को अवगत कराना तथा उसका अनुमोदन प्राप्त करना।
- ii. (i) की प्रगति के संबंध में सीआईसी के लिए इंटरफेस होना।
- iii. सीपीआईओ, डीमड-सीपीआईओ द्वारा आरटीआई आवेदनों का सकारात्मक तथा समय पर उत्तर देने संबंधी अनुकूल स्थितियों को बढ़ावा देने में सहायता करना।
- iv. सभी आरटीआई मामलों में जन साधारण के लिए संपर्क बिंदु होना।

  
(राजीव भारद्वाज) 28/12/23

अवर सचिव (ओ. एंड एम./आरटीआई)

सेवा में

सचिव  
केन्द्रीय सूचना आयोग,  
सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग,  
मुनिरका, नई दिल्ली-110067.